खंड . 2 अंक . 1 2 जुलाई 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ

संदेश

नए जल वर्ष की शुरुआत अच्छी वर्षा के साथ हुई. आईएमडी के सामान्य मानसून वाले पूर्वानुमान के साथ, देश भर में मानसून की जल्दी शुरुआत और जून 2020 के अंत तक हमारे जलाशयों में अच्छे भंडारण जो कि पिछले वर्ष में उपलब्ध भंडारण से लगभग दोगुना है, हम आने वाले वर्ष में सभी क्षेत्रों के लिए बेहतर जल उपलब्धता की उम्मीद करते हैं. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े भी बताते हैं कि खरीफ फसल की कुल बुवाई में पिछले वर्ष की तुलना में काफी सुधार हुआ है.

साथ ही साथ असम, बिहार, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है. ये राज्य अक्सर अपस्ट्रीम में भारी वर्षा के कारण बाढ़ से प्रभावित होते हैं और संबंधित सीमापार बेसिन में भंडारण परियोजनाओं के निर्माण की आवश्यकता प्रत्येक गुजरते साल के साथ अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है. दामोदर और महानदी बेसिन बाढ़ प्रबंधन में भंडारण परियोजनाओं की भूमिका को प्रदर्शित करने के बेहतरीन उदाहरण हैं जिन्हें अन्य बाढ़ प्रवण बेसिनों में भी दोहराने की आवश्यकता है.

दिनांक 27.05.2020 को आयोजित नीति आयोग की समिति की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया ताकि तीन मुख्य विषयों नामतः संरचनात्मक उपायों, गैर-संरचनात्मक उपायों और सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और नदी प्रबंधन गतिविधियों / कार्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु प्रस्ताव/रणनीति के निर्माण में समिति की सहायता की जा सके. इस उप-समिति की बैठक सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2020 को आयोजित की गई. चयनित राज्यों के जल संसाधन सचिवों, मैंने तथा उप-समिति के अन्य सदस्यों ने वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लिया. उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और नीति आयोग को प्रस्तुत कर दिया है.

ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. के अंतर्गत सीएसएमआरएस और सीडब्लूपीआरएस प्रमुख अनुसंधान स्टेशन हैं. जून 2020 के दौरान दोनों संस्थानों के कार्यों की समीक्षा करने और मार्गदर्शन देने के लिए आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठकों की अध्यक्षता क्रमशः सदस्य(डीएंडआर) और मेरे द्वारा की गईं.

के.ज.आ. के अधिकारियों को एफएओ की वैश्विक सूचना प्रणाली पर जल और कृषि-अक्वास्टैट के लिए राष्ट्रीय संवाददाताओं के रूप में नामित किया गया और उन्होंने 18.06.2020 को एसडीजी संकेतक 6.4 पर एफएओ की वर्चुअल कार्यशाला में भाग लिया.

कोविड -19 महामारी के मद्देनजर के.ज.आ. के अधिकारियों को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने और समीक्षा करने के लिए आभासी (वर्चुअल) बैठकें आयोजित की जा रही हैं. मैंने स्वयं बड़ी संख्या में वीडियो कॉन्फ्रेंस कीं और कई अन्य में भाग लिया जिसमें न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागियों ने बल्कि दुनिया भर के लोगों ने भाग लिया.

राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे कि माजुली द्वीप बाढ़ संरक्षण कार्य और रावी नदी पर शाहपुरकंडी राष्ट्रीय परियोजना के आभासी प्रबोधन दौरे क्रमशः सदस्य(डीएंडआर) और सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी) द्वारा किए गए.

के.ज.आ. की राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्लूए) अब दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है. एनडब्ल्यूए वर्ष 2003 से शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और पूर्व में ऐसे 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें लगभग 592 शिक्षकों ने भाग लिया था जो ज्यादातर महाराष्ट्र से थे. हालांकि, केवल इस साल देश भर से लगभग 500 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जो विभिन्न बैचों में आयोजित किया गया था. मैंने भी इस कार्यक्रम में पूर्व में रिकॉर्ड किया गया उद्घाटन भाषण दिया. कोविड -19 महामारी के इस कठिन समय में यह सब प्रशिक्षण कार्यक्रम की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के कारण ही संभव हो पाया.

मैं आशा करता हूं कि इस तरह के और अधिक अभिनव तरीके विकसित होंगे ताकि और अधिक दक्षता के साथ काम को गति दी जा सके.

शाहपुरकंडी बांध

विषय वस्तु

- सचिव, जल संसाधन द्वारा नीति आयोग की उप-समिति की बैठक
- नदी बोर्ड पर राउंड टेबल के लिए प्रारंभिक बैठक
- तिलैया-धाधर विपथन योजना के संबंध में वार्ता समिति की दूसरी बैठक
- सीएसएमआरएस और सीडब्लूपीआरएस के लिए टीएसी की बैठकें
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140वीं बैठक
- साबरमती बेसिन के अधिशेष जल का जवाई बांध तक विपथन
- ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप के संरक्षण योजना की निगरानी हेतु समिति का तीसरा दौरा
- बाढ़ पूर्वानुमान की पहल हेतु गूगल प्रतिनिधियों के साथ बैठक
- गांधी सागर बांध के बांध सुरक्षा उपायों पर व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए बैठक
- बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)
- अम्फान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल /ओडिशा में आईएमसीटी का दौरा
- कृष्णा और गोदावरी बेसिन में परियोजनाओं की समीक्षा
- डीवीआरआरसी की 142वीं बैठक
- देश में बाढ़ की स्थिति
- डब्लूआरडी 27 की चौथी बैठक
- जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (डब्लूआईएमएस)
- शाहपुरकंडी बांध का आभासी (वर्चुअल) प्रबोधन
- शतूत बांध परियोजना, अफगानिस्तान
- यूवाईआरबी की 58वीं बैठक
- प्रशिक्षण
- डेटा कार्नर
- मुख्यमंत्री, दिल्ली की अध्यक्षता में
- शीर्ष समिति की बैठक
- शोंगटोंग करचम एचई परियोजना, एचपी
- जल क्षेत्र समाचार
- इतिहास- कोटा बैराज

सचिव, जल संसाधन द्वारा नीति आयोग की उप-समिति की बैठक

वर्ष 2020 से 2023 की अवधि के लिए पूरे देश में नदी प्रबंधन गतिविधियों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए रणनीति तैयार करने हेतु नीति आयोग द्वारा उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.

भारत सरकार के विभिन्न विभागों / मंत्रालयों के अधिकारी, क्षेत्र के विशेषज्ञ और जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और केरल के प्रधान सचिवों को इस समिति के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है. दिनांक 27.05.2020 को आयोजित नीति आयोग समिति की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया ताकि बाढ़ प्रबंधन के तीन मुख्य विषयों नामतः संरचनात्मक उपायों, गैर-संरचनात्मक उपायों और सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और नदी प्रबंधन गतिविधियों / कार्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की योजना हेतु प्रस्ताव / रणनीति को तैयार करने में समिति की सहायता की जा सके.

इस उप-समिति की बैठक 16-06-2020 को सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., की अध्यक्षता में आयोजित की गई. अध्यक्ष, के.ज.आ., चयनित राज्यों के प्रधान सचिव और उप-समिति के अन्य सदस्यों ने वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लिया. उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और नीति आयोग को प्रस्तुत कर दिया है.

रिवर बोर्ड पर राउंड टेबल के संबंध में तैयारी बैठक

जल शक्ति मंत्रालय ने जल संघर्षों और अभिशासन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), नई दिल्ली में एक रिसर्च चेयर की स्थापना की है. रिसर्च चेयर के.ज.आ. के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि अंतरराज्यीय सहयोग के अनुभवों के आधार पर नीति निर्माताओं को उपयोगी सीख से अवगत कराया जा सके.

के.ज.आ. के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय के रिसर्च चेयर के समन्वय में के.ज.आ.-सीपीआर सँवाद फोरम के अंतर्गत मौजूदा नदी बोर्डों के अनुभवों से सीखने के लिए उनके कामकाज से संबंधित बातचीत की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई गई है. इस दिशा में आने वाले दिनों में 'राउंडटेबल ऑफ रिवर बोर्ड' को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें मौजूदा नदी बोर्डों के अनुभवों पर मंथन किया जाएगा.

जून 2020 के दौरान प्रारंभिक बैठकें

'राउंडटेबल ऑफ रिवर बोर्डों' को बुलाने से पहले विभिन्न नदी बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का प्रारंभिक दौर आयोजित करने का निर्णय लिया गया. तदनुसार, जून, 2020 के दौरान 12 कार्यशील नदी बोर्डों / बेसिन प्राधिकरणों को सम्मिलित करने वाली तीन बैठकें अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गईं.

	भाग लेने वाले नदी बोर्ड /प्राधिकरण
पहली तैयारी बैठक 19.06.2020	• भाखड़ा और ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) • दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) • ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी)
दूसरी तैयारी बैठक 25.06.2020	• तुंगभद्रा बोर्ड (टीबी) • गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी) • कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) • कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडबल्यूएमए)
तीसरी तैयारी बैठक 30.06.2020	• नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) • ब्रह्मपुत्र बोर्ड (बीबी) • बेतवा नदी बोर्ड (बीआरबी) • बाणसागर नियंत्रण बोर्ड (बीसीबी) • एमपी-राजस्थान अंतर्राज्यीय (आईएंडपी) नियंत्रण बोर्ड

प्रारंभिक बैठकों के दौरान निम्नलिखित सवालों पर विचार-विमर्श किया गया.

1. बोर्ड के अब तक के कामकाज के अनुभव के आधार पर, इसके कार्यों का निर्वहन करने में अच्छाईयां और कमियां क्या हैं ?
2. बोर्ड के अधिकारों के विशेष संदर्भ में, बोर्ड के ऐसे कौन से कारक या विशेषताएं हैं जिन्होंने इसके प्रभावी कामकाज में योगदान दिया है ?
3. क्या हम अंतरराज्यीय नदी जल समन्वय और सहयोग के बारे में नीतिगत सोच को सूचित करने के लिए आपके (बोर्ड के) अनुभवों को समेकित कर सकते हैं ?

तिलैया-धाधर डाइवर्जन योजना के संबंध में वार्ता समिति की दूसरी बैठक

तिलैया-धाधर डाइवर्जन योजना के संबंध में बिहार और झारखंड राज्यों के बीच जल बंटवारे के विवाद पर चर्चा करने के लिए वार्ता समिति की दूसरी बैठक 23.06.2020 को वीसी के माध्यम से अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्लू) अधिनियम, 1956 के तहत बिहार सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2020 को की गई शिकायत के सन्दर्भ में ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्ता समिति का गठन किया गया. दिनांक 13.02.2020 को आयोजित वार्ता समिति की पहली बैठक में दोनों राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार और के.ज.आ. द्वारा किए गए तिलैया जलाशय के नवीनतम जल उपलब्धता अध्ययन के अनुसार सर्वोत्तम इष्टतम समाधान करने का निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत पारंपरिक सिंचाई के बजाय सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाकर प्रस्तावित जल उपयोग की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया. राज्य पक्षों को सलाह दी गई कि वे अपनी स्थिति की समीक्षा करें ताकि विवाद को वार्ता समिति के स्तर पर आपसी समझ से सुलझाया जा सके क्योंकि जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय में काफी लंबा समय लगेगा. दिनांक 23.06.2020 को आयोजित दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य, योजना के अंतर्गत पानी के प्रस्तावित उपयोग की समीक्षा करने और इसे तर्कसंगत बनाने के लिए अपना अध्ययन पूर्ण करेगा और एक महीने की अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा. झारखंड राज्य से भी अनुरोध किया गया कि वह अपनी स्थिति की समीक्षा करे और तिलैया जलाशय से अपनी पानी की माँग को तर्कसंगत बनाए ताकि समिति द्वारा एक समझौते पर पहुँचा जा सके.

सीएसएमआरएस और सीडब्लूपीआरएस के लिए टीएसी की बैठकें

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) की संचालन परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति की 36वीं बैठक श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. और तकनीकी सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष की अध्यक्षता में 24.06.2020 को वर्चुअल प्लेटफार्म पर हुई. डॉ. (श्रीमती) वीवी भोसकर(निदेशक, सीडब्ल्यूपीआरएस), श्री गुलशन राज(मुख्य अभियंता, डीएसओ एवं परियोजना निदेशक डीआरआईपी II एवं III), श्री प्रमोद नारायण(निदेशक, डीएसआर निदेशालय एवं परियोजना निदेशक डीआरआईपी), श्री अमित कुमार झा(निदेशक, डीएसएम निदेशालय), सीडब्लूपीआरएस के वैज्ञानिक / अधिकारी और अन्य संगठन / सार्वजनिक उपक्रम, बैठक में उपस्थित थे. इसी प्रकार से केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस) की संचालन परिषद की स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति की 35वीं बैठक 18.06.2020 को डॉ. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित की गई. श्री एस.एल. गुप्ता(निदेशक सीएसएमआरएस और सदस्य सचिव, एसटीएसी), श्री ए.बी. पंड्या (पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ.), श्री अमित कुमार झा(निदेशक,

सीएसएमआरएस के लिए एसटीएसी की बैठक

डीएसएम निदेशालय), सीएसएमआरएस के वैज्ञानिक / अधिकारी और अन्य संगठन / पीएसयू बैठक में उपस्थित थे. इस बैठक के दौरान, कार्यसूची के बिंदुओं, पिछली बैठकों पर अनुवर्ती कार्रवाई, संबन्धित संस्थान के लिए समग्र परिप्रेक्ष्य और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने, वार्षिक योजना व अन्य विस्तार प्रस्तावों, तकनीकी गतिविधियों और उपलब्धियों, प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों आदि पर चर्चा की गई.

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140 वीं बैठक

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140 वीं बैठक अध्यक्ष, के.ज.आ., की अध्यक्षता में दिनांक 29-06-2020 को आयोजित की गयी. बैठक में यह बताया गया कि इस तिमाही के दौरान केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में धारा 3(3) तथा नियम-5 का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है और हिन्दी में टिप्पण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है. बैठक में हिन्दी में कार्य करने में अधिकारियों/कर्मचारियों को काम करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने, केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के 8 कनिष्ठ अनुवादकों के पदों के रिवाइवल/सृजन इत्यादि के मुद्दों पर चर्चा हुई और अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में निष्पादित करने पर बल दिया गया.

साबरमती बेसिन के अधिशेष जल का जवाई बांध तक डाइवर्जन

राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत नई संशोधित परियोजना में पाली और सिरोही जिलों में पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में मुख्य रूप से साबरमती और सेई नदियों से, साबरमती बेसिन की अधिशेष जल का उपयोग करके जवाई बांध में पानी की उपलब्धता बढ़ाने का प्रस्ताव है. पिछले प्रस्तुत प्रस्ताव में राजस्थान में साबरमती और सेई उप-बेसिन नदियों के अलावा वाकल नदी से भी साबरमती बेसिन के अधिशेष जल का उपयोग करके जवाई बांध में पानी की उपलब्धता बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था , जिससे जवाई बांध के माध्यम से पाली और सिरोही जिलों के साथ-साथ जालोर जिले के पेयजल की मांग को पूरा किया जा सके. परन्तु गुजरात सरकार ने संशोधित प्रस्ताव पर राजस्थान सरकार को आपत्ति जताई है और यह के.ज.आ. को सूचित किया गया है.

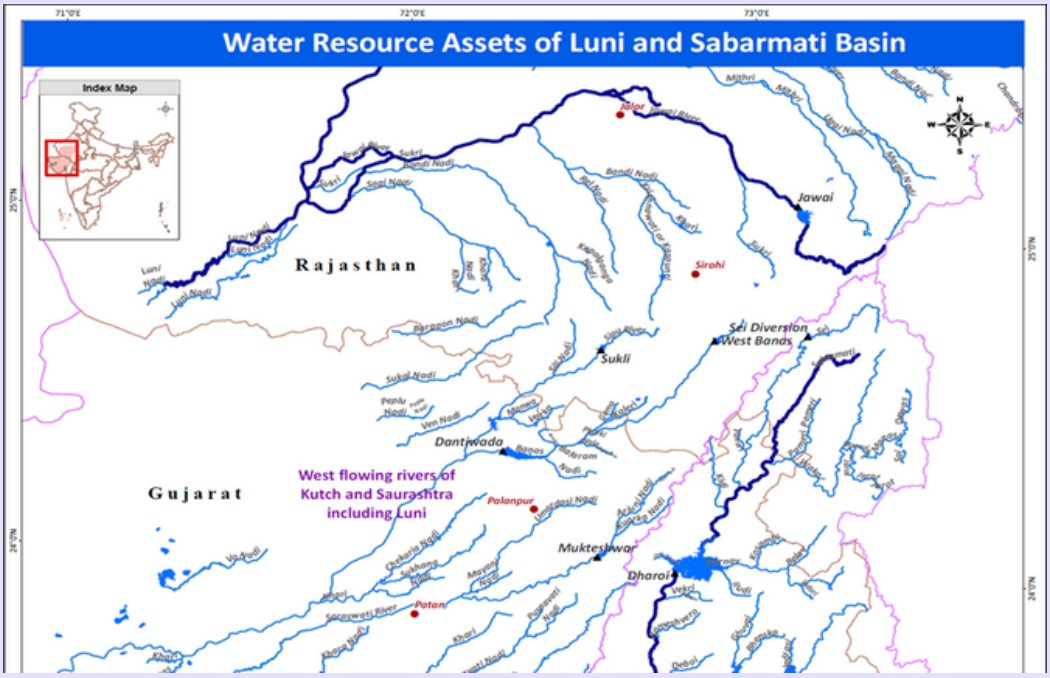

जल विज्ञान और अंतर-राज्यीय मामले के लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26.06.2020 को आयोजित की गई.

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जवाई और धरोई बांधों के लिए विभिन्न उद्देश्यों (अर्थात सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक आदि), सीसीए, वार्षिक रूप से सिंचित क्षेत्र के लिए वर्तमान में पानी के उपयोग एवं इसके मूल योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी/डाटा को क्रमशः राजस्थान और गुजरात सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से और के.ज.आ. के साथ साझा किया जाए. इसके अलावा दोनों राज्यों के दावों के निपटान पर विचार करने और साथ ही विश्लेषण करने के लिए राजस्थान में साबरमती बेसिन में राजस्थान सरकार द्वारा 10-दैनिक / मासिक आधार पर और गुजरात में साबरमती बेसिन में धरोई बांध के अपस्ट्रीम में सभी उपयोगों का डेटा गुजरात सरकार द्वारा 10-दैनिक/मासिक आधार पर एक महीने के भीतर बेसिन राज्यों द्वारा आपस में आदान-प्रदान किया जाए और केंद्रीय जल आयोग के साथ साझा किया जाए.

ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप का रक्षण योजना की निगरानी हेतु समिति का तीसरा दौरा

"ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप का संरक्षण" की इस योजना के लिए प्रबोधन समिति के सदस्यों ने 09.06.2020 को 11 (ग्यारह) कार्य स्थलों के आभासी दौरे किए. समिति के अध्यक्ष डॉ. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों के विभिन्न स्थलों के आभासी दौरे हेतु सदस्यों का स्वागत किया. यह कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा "ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप का संरक्षण" योजना के अंतर्गत किया जा रहा है. इस कार्य की धीमी प्रगति के बारे में चिंता जताई गई और कार्य को तेज करने के लिए चर्चा की गई ताकि उन्हें निर्धारित समय के अनुसार पूरा किया जा सके. परामर्शदाता(तकनीकी), ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने समिति को योजना के विभिन्न घटकों और कार्यों की प्रत्येक मद की वर्तमान स्थिति के बारे में पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी. विभिन्न मदों की अलग-अलग भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ योजना की संपूर्ण भौतिक प्रगति 85% बताई गई.

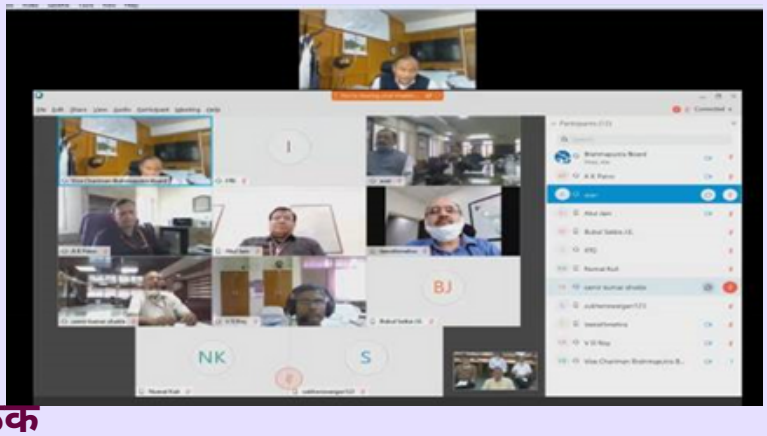

बाढ़ पूर्वानुमान हेतु गूगल प्रतिनिधियों के साथ बैठक

के.ज.आ.-गूगल सहयोग के अंतर्गत सदस्य(आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्वानुमान पर गूगल के प्रतिनिधियों और के.ज.आ. अधिकारियों के साथ एक बैठक 25.06.2020 को आयोजित की गई. गूगल टीम ने सूचित किया कि आप्लावन (इनअंडेशन) चेतावनी को 2019 के मानसून सीजन में 11,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र हेतु 7 स्थलों से बढ़ा कर चालू मानसून सीजन में 37000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करते हुए पूरे भारत में 35 स्थलों तक बढ़ा दिया गया है. के.ज.आ. के 197 बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों में से 35 के लिए आप्लावन मानचित्र के साथ-साथ कैप (कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल) उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा बाकी एफएफ स्थलों के लिए केवल कैप चेतावनी जारी किए जा रहे हैं. इस मॉनसून सीजन में कुल 4.4 लाख बाढ़ चेतावनी सूचनाएं जारी की गई हैं. चेतावनी में एक पार्टनर नोटिफ़िकेशन सिस्टम भी शामिल किया गया है.

गांधी सागर बांध के बांध सुरक्षा उपायों पर व्यवहार्यता रिपोर्ट हेतु बैठक

सीएमडीडी (एनएंडडब्ल्यू), के.ज.आ., द्वारा तैयार की गई गांधी सागर बांध के बांध सुरक्षा उपायों पर व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ. में 12.06.2020 को एक बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता डॉ. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ., के द्वारा की गई.

मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध को वर्ष 1960 में चालू किया गया था जो 13705 क्यूमेक्स (4.84 लाख क्यूसेक) का अधिकतम निस्सरण कर सकता है. वर्ष 2000 में के.ज.आ. द्वारा डिजाइन बाढ़ को संशोधित किया गया और अंततः पीएमएफ में अधिकतम 54390 क्यूमेक्स का निस्सरण अनुशंसित है. अनुशंसित पीएमएफ के मॉडरेशन के लिए निम्नलिखित तीन विकल्पों का प्रयोग प्रस्तावित है:

- परियोजना जलाशय को पहले से खाली करना
- अतिरिक्त सुरंगों के निर्माण से 5000 क्यूमेक्स की अतिरिक्त स्पिलवे क्षमता प्रदान करना
- डैम की ऊंचाई को 2.0 मीटर ऊपर उठाना

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)

डीआरआईपी चरण II और चरण III के लिए प्रारंभिक गतिविधियों की प्रगति की निगरानी हेतु समीक्षा बैठक

सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., की अध्यक्षता में कर्नाटक डब्लूआरडी, तमिलनाडु डब्लूआरडी, टीएएनजीईडीसीओ, गुजरात डब्लूआरडी, मेघालय पीजीसीएल, महाराष्ट्र डब्लूआरडी, छत्तीसगढ़ डब्लूआरडी, केएसईबी और केरल डब्ल्यूआरडी और एमपीडब्ल्यूआरडी के प्रतिनिधियों के साथ डीआरआईपी चरण II और चरण III की परियोजना की तैयारी की समीक्षा करने के लिए 4 से 10 जून, 2020 के दौरान आभासी बैठकें आयोजित की गईं. बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ., अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ., राज्य के प्रधान सचिवों, सीपीएमयू, एसपीएमयू और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया.

बांध सुरक्षा प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए रणनीतियों के निर्धारण और अग्रिम कार्रवाई हेतु आभासी बैठकें

अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में बांध सुरक्षा प्रबंधन पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम की शुरुआत करने और बांध अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु रणनीति निर्धारित करने के लिए 10 जून, 2020 को आईआईएससी, बंगलुरु के साथ ऑनलाइन वीडियो बैठक आयोजित की गई. मई 2020 में इस उद्देश्य के लिए आईआईटी रुड़की और आईआईटी मद्रास के साथ हुई बैठक के बाद यह इस श्रृंखला की तीसरी बैठक है.

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की आभासी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक

प्रगतिधीन डीआरआईपी और अन्य बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए डीईए, वित्त मंत्रालय द्वारा संयोजित एक आभासी बैठक 17 जून, 2020 को आयोजित की गई. बैठक में डीईए, सीपीएमयू और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान प्रगतिधीन डीआरआईपी को विस्तारित करने और 79 मिलियन डॉलर वापिस करने का सुझाव दिया गया.

प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईआईटी रुड़की ने मौजूदा बांधों में सतत पर्यटन विकास पर दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. "मौजूदा बांधों में सतत पर्यटन विकास की सैद्धांतिक समझ" और "भारत में मौजूदा बांधों में सतत पर्यटन विकास – केस स्टडीज़ " क्रमशः 18 से 20 जून 2020 और 22 से 23 जून 2020 के दौरान आयोजित किए गए. आईआईटी रुड़की ने डीआरआईपी के अंतर्गत संस्थान द्वारा विकसित वर्चुअल रियलिटी लैब के एक आभासी दौरे का भी आयोजन किया. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों के 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया.

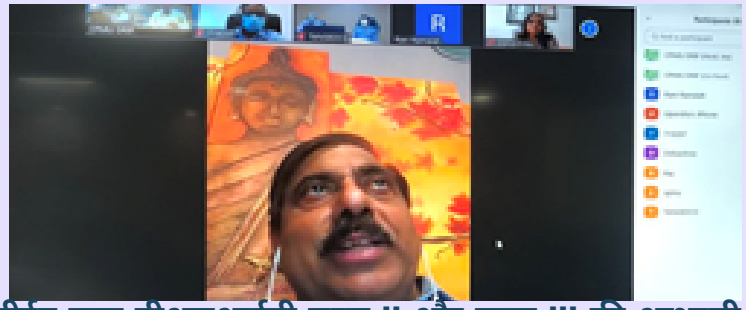

डीईए द्वारा डीआरआईपी चरण II और चरण III की आभासी त्रिपक्षीय पाइपलाइन समीक्षा बैठक

डीईए, वित्त मंत्रालय द्वारा संयोजित एक आभासी बैठक डीआरआईपी चरण II और चरण III की तैयारी और अन्य बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए 10 जून, 2020 को आयोजित की गई. बैठक में डीईए, सीपीएमयू और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया. डीईए के अनुसार परियोजना तैयारी के मानदंड को पूर्ण करने के संबंध में विभिन्न राज्य एजेंसियों की स्थिति के आधार पर नए डीआरआईपी चरण II और चरण III के लिए ऋण वार्ता बैठक की प्रत्याशित तिथि पर मंत्रणा की गई.

डीआरआईपी चरण II और चरण III के लिए अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन परामर्श कंपनी की हायरिंग हेतु वर्चुअल प्री-आरईओआई परामर्श बैठक

डीआरआईपी चरण II और चरण III के लिए अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन परामर्श कंपनी की हायरिंग हेतु आभासी (वर्चुअल) प्री-आरईओआई परामर्श बैठक सीई, डीएसओ एवं परियोजना निदेशक, डीआरआईपी चरण II और चरण III की अध्यक्षता में 29 जून, 2020 को भावी बोलीदाताओं के साथ आयोजित की गई. इस बैठक में 25 परामर्शदाता कंपनियों (कंसल्टेंसी फर्मों) के प्रतिनिधियों और सीपीएमयू के अधिकारियों ने भाग लिया. दिनांक 22 मई, 2020 को प्रकाशित ईओआई के संबंध में भावी बोलीदाताओं द्वारा वांछित स्पष्टीकरण पर चर्चा की गई.

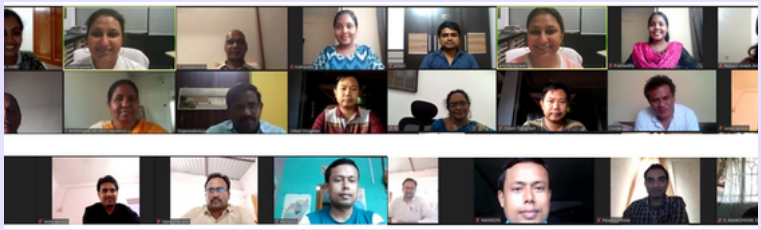

प्रशिक्षण

अम्फान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल /ओडिशा में आईएमसीटी का दौरा

तीव्र चक्रवाती तूफान 'अम्फान' ने पश्चिम बंगाल - बांग्लादेश तटों को सुंदरबन के पास दीघा (पश्चिम बंगाल) और हटिया (बांग्लादेश) के बीच 20.05.2020 को 155 से 165 किमी प्रति घंटे की गति से पार किया. इससे तटीय राज्यों में काफी नुकसान हुआ.

श्री अनुज शर्मा, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय के नेतृत्व में सात सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) ने पश्चिम बंगाल राज्य में मौके पर क्षति के आकलन के लिए 05.06.2020 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. आईएमसीटी ने सुंदरबन क्षेत्र में

क्षतिग्रस्त मिट्टी के तटबंधों का भी दौरा किया. श्री सिद्धार्थ मित्रा, निदेशक, के.ज.आ., कोलकाता इस टीम के सदस्यों में से एक थे.

इसी तरह से ओडिशा में चक्रवात अम्फान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आईएमसीटी ने प्रभावित क्षेत्रों नामतः ओडिशा के तटीय जिलों केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक एवं बालासोर का 4 से 5 जून, 2020 के दौरान दौरा किया. श्री अमरीश पाल सिंह, एसई(समन्वय), के.ज.आ., भुवनेश्वर केंद्रीय टीम के सदस्य थे.

कृष्णा और गोदावरी बेसिन में परियोजनाओं की समीक्षा

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा कृष्णा और गोदावरी बेसिन में इकतरफा रूप से शुरू की जा रही परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 23.06.2020 को माननीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. अध्यक्ष, के.ज.आ. और सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. के साथ श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं. और के.ज.आ., केआरएमबी, जीआरएमबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार कृष्णा/गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और के.ज.आ. द्वारा परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद शीर्ष परिषद् को कृष्णा, गोदावरी बेसिन पर नई परियोजनाओं की अंतिम मंजूरी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. के.ज.आ. द्वारा बनाई गई प्रस्तुति और अध्यक्ष, जीआरएमबी / केआरएमबी द्वारा अतिरिक्त स्पष्टीकरण के दौरान संकेत दिया गया कि दोनों राज्यों में 34 परियोजनाएं (कृष्णा में 23 + गोदावरी बेसिन में 11) प्रस्तावित/प्रगतिधीन हैं. इनमें से अधिकांश परियोजना प्रस्तावों (डीपीआर) को के.ज.आ./ संबंधित बोर्डों द्वारा साझा या अनुमोदित नहीं किया गया है. इस बैठक में यह नोट किया गया कि केआरएमबी और जीआरएमबी ने पहले ही दोनों राज्यों को शीर्ष परिषद् की अंतिम मंजूरी के लिए केआरएमबी/जीआरएमबी और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा मूल्यांकन और तकनीकी मंजूरी के लिए डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. बोर्डों ने संबंधित सरकारों को निर्देश दिया है कि जब तक परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन शीर्ष परिषद् से प्राप्त न हो जाए वे अंतर-राज्यीय नदियों में नई परियोजनाओं को आगे न बढ़ाएँ. राज्य सरकार को इन परियोजनाओं में चल रहे कार्य को तुरंत रोकना चाहिए. बैठक में जल्द से जल्द शीर्ष परिषद की बैठक बुलाने का भी सुझाव दिया गया.

डीवीआरआरसी की 142वीं बैठक

दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) की 142वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. एवं अध्यक्ष, डीवीआरआरसी की अध्यक्षता में 12.06.2020 को आयोजित की गई.

बैठक में विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए. चर्चा के कुछ बिंदु नीचे दिए गए हैं.

- विभिन्न डीवीसी जलाशयों का एकीकृत संचालन
- 852 फीट से ऊपर तेनुघाट जलाशय के लिए फ्रिंज क्षेत्र का सर्वेक्षण
- न्यूनतम 2.5 लाख क्यूसेक प्रवाह लिए दामोदर चैनल की क्षमता में सुधार
- प्रस्तावित बलपहाड़ी बांध से संबंधित मुद्दे
- दामोदर बराकर बेसिन से नगरपालिका और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए जल लेखा
- ऑनलाइन जल आवंटन आवेदन प्रणाली की शुरुवात
- दुर्गापुर बैराज के पाण्ड का मॉडल अध्ययन और दुर्गापुर बैराज के संरचनात्मक पुनर्वास कार्य
- दुर्गापुर बैराज से जल आपूर्ति नहर के डीसिल्टेशन कार्य
- दुर्गापुर बैराज के गेटों की मरम्मत
- 2019 में मानसून सीजन के दौरान जलाशय संचालन की समीक्षा

मानसून 2019 के दौरान इन जलाशयों में मैथन और पंचेत जलाशयों के लिए फ्लड मॉडरेशन और रिकॉर्ड भंडारण का प्रदर्शन समिति के सदस्यों द्वारा सराहा गया.

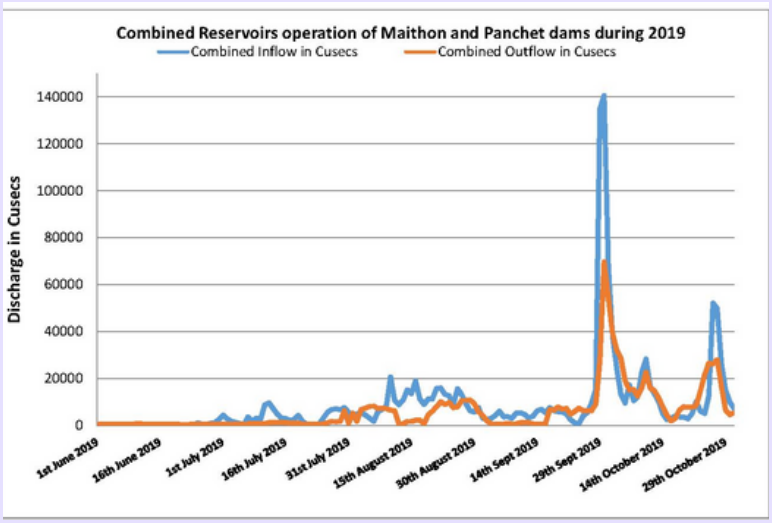

देश में बाढ़ की स्थिति

केंद्रीय जल आयोग अपने क्षेत्रीय मंडलों के माध्यम से हर साल बाढ़ के मौसम के दौरान वास्तविक समय के आधार पर जल वैज्ञानिक और जल मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े एकत्र करता है. इन आंकड़ों का उपयोग करते हुए 326 स्थानों (198 स्तर और 128 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों) के लिए बाढ़/अंतर्वाह पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और फैक्स/ई-मेल/एसएमएस और वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रसारित किए जाते हैं. बाढ़ पूर्वानुमान को तैयार करने में के.ज.आ. स्टेशनों के नेटवर्क से एकत्र किए गए आंकड़ों के अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों व क्यूपीएफ का भी उपयोग किया जाता है.

ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान का कार्य 1 मई 2020 को शुरू हुआ. 1 मई से 30 जून 2020 की अवधि के दौरान 1284 बाढ़ पूर्वानुमान (1190 स्तर और 94 अंतर्वाह) जारी किए गए जिनमें से 1206 (1175 स्तर और 31 अंतर्वाह) पूर्वानुमान (93.92%) सटीकता की सीमा में थे. केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जून के महीने में 157 ऑरेंज बुलेटिन (तीव्र बाढ़ की स्थिति के लिए) और चरम बाढ़ की स्थिति के लिए 48 रेड बुलेटिन जारी की गई.

चरम बाढ़ की स्थिति

जून 2020 के दौरान एक बाढ़ पूर्वानुमान (एफएफ) स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गयी. 3 बाढ़ निगरानी स्टेशन पर भी चरम बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई.

क्रम. सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	स्टेशन का प्रकार
1	असम	शिवसागर	दिखो	शिवसागर	बाढ़ पूर्वानुमान
2	असम	कामरूप	पुथिमरी	सुक्लई	बाढ़ निगरानी
3	बिहार	किशनगंज	महानंदा	मौजाबादी	बाढ़ निगरानी
4	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	चन्दन	ठूठीबारी	बाढ़ निगरानी

एफएफ स्टेशनों पर तीव्र बाढ़ की स्थिति

1 मई से 30 जून 2020 की अवधि के दौरान असम, बिहार और ओडिशा राज्यों में 29 एफएफ स्टेशन पर तीव्र बाढ़ की स्थिति देखी गयी.

सामान्य से ऊपर की बाढ़ स्थिति

1 मई से 30 जून 2020 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 20 एफएफ स्टेशन पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गयी.

अंतर्वाह पूर्वानुमान

1 मई से 30 जून की अवधि के दौरान 18 जलाशयों को निर्धारित सीमा से अधिक अंतर्वाह की प्राप्ति हुई.

डब्लूआरडी 27 की चौथी बैठक

जल संसाधन प्रबंधन हेतु हैंडबुक की प्रगति पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डब्ल्यूआरडी 27 की चौथी बैठक 05.06.2020 को आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता श्री एन.के. माथुर, पूर्व सदस्य(डीएंडआर, के.ज.आ.) द्वारा की गई. अपने इनपुट और हैंडबुक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अन्य प्रतिभागियों में के.ज.आ., बीआईएस, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईएमडी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के अधिकारी उपस्थित थे. चूँकि, जल क्षेत्र बहुविषयक प्रकृति का होने के साथ कई हितधारकों के कार्य क्षेत्र में फैला हुआ है और दिन-प्रतिदिन इस क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह हैंडबुक विभिन्न पेशेवरों, ठेकेदारों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों आदि के लिए अति उपयोगी साबित होगी. यह पुस्तिका सभी पेशेवरों के लिए एकल पुस्तक संदर्भ के रूप में सहायक होगी.

बैठक में पर्यावरणीय पक्ष, प्रबंधन पक्ष जैसे कि बाढ़, सूखे, बांधों आदि का प्रबंधन करने को शामिल करते हुए हैंडबुक बनाने का निर्णय लिया गया. बाद में, अप्रोच पेपर निकलने का निर्णय लिया गया, जिसमें अध्यायों और सामग्री विश्लेषण की व्यापक रूपरेखा शामिल होगी जो हैंडबुक का हिस्सा होगी, दोहराव से बचने के लिए बीआईएस के मौजूदा उपलब्ध प्रकाशित मानक का अध्ययन, इस हैंडबुक में शामिल करने योग्य शीर्षकों/विषयों की पहचान की जाएगी.

जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (डब्लूआईएमएस)

जल विज्ञान परियोजना- I के दौरान, केंद्रीय जल आयोग ने सॉफ्टवेयर पैकेजों नामतः सरफेस वाटर डेटा एंट्री सिस्टम (एसडब्लूडीईएस), हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर (एचवाईएमओएस) और वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा ऑनलाइन मैनेजमेंट (डब्लूआईएसडीओएम) के सूईट्स विकसित किए. इन सॉफ्टवेयर्स का उपयोग मुख्य रूप से डेटा प्रविष्टि, प्राथमिक और माध्यमिक डेटा सत्यापन, डेटा तैयार करने, डेटा भंडारण और जल-मौसम संबंधी डेटा के प्रसार के लिए किया जा रहा था. इस एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर को अकेले चल सकने योग्य और क्लाइंट सर्वर परिस्थिति में विकसित किया गया, जो क्लाइंट अनुप्रयोगों और एक सीमित वेब सेवा प्रदान करने के लिए जीआईएस, डेटाबेस और विभिन्न सॉफ़्टवेयर प्रणालियों को एकीकृत करता है. इनमें से एचवाईएमओएस सॉफ्टवेयर प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर था.

उपरोक्त सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान आई कमियों को दूर करने के लिए, केंद्रीय जल आयोग ने जल विज्ञान परियोजना- II (एचपी-II) के अंतर्गत ऑनलाइन सतही जल सूचना प्रणाली (ई-एसडब्लूआईएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया है. ई-एसडब्लूआईएस, (वेब और जीआईएस-आधारित सतही जल सूचना प्रणाली) को जल विज्ञान परियोजना II में भाग लेने वाली एजेंसियों और संभावित रूप से भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू किया गया. नए सॉफ्टवेयर को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य, मौजूदा सॉफ्टवेयर के अप्रचलित घटकों को बदलना, इसकी प्रणाली के आर्किटेक्चर में सुधार करना और कुछ नए घटकों को जोड़ना था.

केंद्रीय जल आयोग और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां, हाइड्रोमेट्रिक और जल-मौसम संबंधी मापक स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क को संचालित करती हैं, जहाँ से जलवायु, नदी के प्रवाह और पानी की गुणवत्ता पर डेटा एकत्र किया जाता है. इसके अलावा, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना-एनएचपी के अंतर्गत एजेंसियों की संख्या में वृद्धि के कारण डेटा संग्रह के व्यापक दायरे के साथ केंद्रीकृत डेटाबेस की अवधारणा के साथ एकीकृत सूचना प्रणाली के महत्व को देखते हुए, इंटरनेट समर्थित सतही जल सूचना प्रणाली (ई-एसडब्ल्यूआईएस) को जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूआईएमएस) में अपग्रेड किया गया है.

जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (डब्लूआईएमएस) सॉफ्टवेयर, ई-एसडब्ल्यूआईएस सॉफ्टवेयर का एक उन्नयन और विस्तार है. डब्लूआईएमएस, सतही जल और भूजल संसाधनों के लिए डेटा प्रविष्टि, प्राथमिक डेटा सत्यापन, डेटा तैयार करने, भंडारण के प्रबंधन के लिए एक वेब-आधारित ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्रणाली है. डब्लूआईएमएस में डेटा बहुत सुरक्षित है और केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही डब्लूआईएमएस एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं. डब्लूआईएमएस में हम दोनों प्रकार के स्टेशन अर्थात सतही जल और भूजल का प्रबंधन और निर्माण कर सकते हैं. डब्लूआईएमएस एजेंसियों के आधार पर दोनों प्रकार के स्टेशन (सतही जल / भूजल) के लिए सभी जानकारी संग्रहीत करता है. पहले ई-एसडब्ल्यूआईएस सॉफ्टवेयर में भूजल मॉड्यूल की सुविधा मौजूद नहीं थी लेकिन डब्लूआईएमएस सॉफ़्टवेयर में भूजल मॉड्यूल को लागू किया गया है और

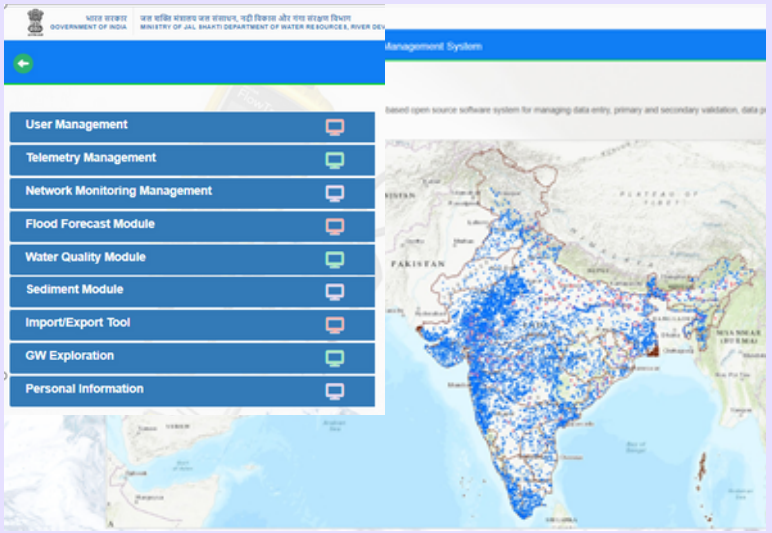

भूजल स्टेशन डेटा, भूजल मॉड्यूल में फ़ीड हो सकता है. उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल है और इसे डब्लूआईएमएस में उनकी नोडल एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है. डब्लूआईएमएस की एक अन्य विशेषता टेलीमेट्री प्रबंधन है जिसमें इनसैट और जीपीआरएस से लाइव डेटा प्राप्त होता है. डब्लूआईएमएस सॉफ्टवेयर के लाभ निम्नानुसार हैं:

- वेब आधारित
- सतही जल के साथ-साथ भूजल डेटा डब्लूआईएमएस में आ रहा है
- टेलीमेट्री प्रबंधन
- डब्लूआईएमएस में राज्य और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से डेटा आ रहा है
- बाढ़ पूर्वानुमान और जल गुणवत्ता प्रबंधन की सुविधा
- सूचना तक सुगम पहुँच
- स्वचालित बैकअप प्रक्रिया
- डेटा और कार्यक्षमता पर पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण
- डेटा की प्रविष्टि कहीं से भी की जा सकती है
- डेटा तक पहुँच नियंत्रित रहेगा और अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित होगा
- डेटा एकीकरण स्वचालित है और केंद्रीय डिपॉजिटरी के लिए डेटा को भौतिक रूप से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है
- डेटा को बाहर विभिन्न उपयोगी प्रारूप जैसे माइक -11, एक्सेल, वाटर इयर बुक में भेजा जा सकता है

शाहपुरकंडी बांध का आभासी (वर्चुअल) प्रबोधन

शाहपुरकंडी बांध परियोजना का निर्माण रावी नदी पर रंजीतसागर बांध के 11 कि.मी. अनुप्रवाह और माधोपुर हेडवर्क्स के 6 कि.मी. प्रतिप्रवाह पर एक बैलेंसिंग जलाशय उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है ताकि माधोपुर हेडवर्क्स के नहर प्रणाली व रंजीतसागर बांध से रावी नहर (जम्मू व कश्मीर) से सिंचाई और पावर हाउस में बिजली उत्पादन के लिए जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 31.10.2018 को इसकी 138वीं बैठक में परियोजना की संशोधित लागत रू. 2715.70 करोड़ (मूल्य-स्तर फरवरी, 2018) के लिए मंजूरी दी गई. परियोजना के पूर्ण होने पर पंजाब राज्य में 5000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर राज्य में 32173 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा. इसके अलावा यूबीडीसी प्रणाली के अंतर्गत 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भी सिंचाई का स्थिरीकरण होगा.

इस परियोजना में 12 मीटर चौड़ाई वाले 22 स्पिल्वे सहित 55.5 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध, बाएं किनारे पर 385 क्यूमेक्स (13591 क्यूसेक) के निस्सरण वाले 7.70 कि.मी. लंबे हाइडल चैनल, कुल 206 मेगावाट क्षमता (2X3X33 में.वा. + 08 में.वा.) के 2 पावर हाउस, 2 हेड रेगुलेटर (एक शाहपुरकंडी हाइडल चैनल (पंजाब) और दूसरा रावी नहर (जम्मू व कश्मीर) की पूर्ति करने के लिए) के निर्माण शामिल हैं.

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः रू.60.00 करोड़ एवं रू. 59.529 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि उनके द्वारा 31.05.2020 तक परियोजना पर रु.1097.24 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है.

कार्यान्वयन समिति की आभासी (वर्चुअल) दौरा/ बैठक

पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय परियोजना) और अन्य कार्य के कार्यान्वयन की निगरानी/प्रबोधन हेतु ज.सं.न.वि. एवं गं.सं. मंत्रालय के दिनांक 14 दिसंबर, 2018 के आदेश सं. पी-12014/1/2015-एसपीआर/7202-7214 के माध्यम से गठित प्रबोधन समिति, की तीसरी आभासी बैठक (वर्चुअल) केंद्रीय जल आयोग के सदस्य(जल योजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में 15.06.2020 को आयोजित की गई.

आभासी दौरे के दौरान, ड्रोन के माध्यम से बनाई गई एक लघु वीडियो फिल्म में मुख्य बांध, निर्माण यार्ड, हाइडल चैनल हेड रेगुलेटर, रावी नहर हेड रेगुलेटर, रावी नहर के संरेखण, सुखराल खड आदि में चल रहे कार्यों को दर्शाया गया. इसके बाद परियोजना में इन प्रमुख स्थानों पर तैनात अधिकारियों ने कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी. इन कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

शतूत बांध परियोजना, अफगानिस्तान

ललंदर (शतूत) बांध परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुरूप अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को मैदान नदी (जो कि सिंधु नदी में मिलने वाली काबुल नदी की सहायक नदी है) से प्रति वर्ष 85 एमसीएम की घरेलू जलापूर्ति उपलब्ध करवाना है . बांध में भंडारित जल को 4 घन मीटर/सेकेंड की क्षमता वाले 8,454 मीटर लंबे पाइपलाइन के माध्यम से जल उपचार संयंत्र (डब्लूटीपी) को उपलब्ध कराया जाएगा. घरेलू जल आपूर्ति के अलावा मैदान नदी द्वारा सिंचित खेत के मौजूदा जल अधिकारों को बरकरार रखा जाएगा और 1843 हेक्टेयर (निवल) की खेती वाले क्षेत्र को 40% सिंचाई क्षमता के साथ सिंचित किया जाएगा जो वर्तमान में 28% है. इस प्रस्तावित परियोजना में एक चिकनी मिट्टी के कोर के साथ एक मृदा और मृदा-शैल बांध, जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी), बांध और डब्ल्यूटीपी के बीच पाइपलाइन, पहुंच मार्ग और कार्यालय भवनों तथा मौजूदा सिंचाई/जल निकासी नेटवर्क के पुनर्वास के निर्माण की परिकल्पना की गई है. यह बाँध काबुल शहर से 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है. यह 92 मीटर ऊंचा, शिखर के पास 500 मीटर लंबा, शिखर पर 10 मीटर चौड़ा और आधार पर 354 मीटर चौड़ा होगा. 420 हेक्टेयर में फैले जलाशय में कुल 146 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल संग्रह होने की उम्मीद है. डाइवर्जन प्रणाली में दाएं किनारे पर 25 साल की बाढ़ के आधार पर दो सुरंगों के डिजाइन और बाढ़ के पानी को निकालने हेतु दाहिनी एबटमेंट पर एक बिना गेट वाले स्पिलवे के निर्माण का प्रस्ताव है.

यूवाईआरबी की 58वीं बैठक

यूवाईआरबी की 58वीं बैठक श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी) एवं अध्यक्ष, यूवाईआरबी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16.06.2020 को आयोजित की गई. इसमें छह बेसिन राज्यों/यूटी नामतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ यूजेवीएनएल, एचपीपीसीएल, के.ज.आ., सीईए, सीजीडब्लूबी और सीपीसीबी के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया. यूवाईआरबी से अध्यक्ष, यूवाईआरबी के अलावा श्री डी.पी. मथुरिया, सदस्य सचिव और श्री राहुल वार्ष्णेय, उप निदेशक ने भी बैठक में भाग लिया. इस बैठक में, ओखला से राजस्थान को यमुना जल की कम आपूर्ति, यमुना के प्रतिप्रवाह पर तीन राष्ट्रीय परियोजनाओं नामतः लखवार, किशाऊ और रेणुकाजी की प्रगति और वज़ीराबाद तथा आगरा नहर में प्रदूषण के मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई.

चर्चा किए गए कार्यसूची के बिंदु निम्नानुसार थे:

1. ओखला हेडवर्क से राजस्थान को यमुना के पानी की कम आपूर्ति
क) टेलीमेट्री प्रणाली की स्थापना.
ख) चोरी की शिकायतें.
2. ताजेवाला के अपस्ट्रीम में यमुना के पानी का उपयोग
3. ऊपरी यमुना बेसिन में भंडारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन
क) रेणुका परियोजना
ख) किशाऊ परियोजना
ग) लखवार-व्यासी परियोजना
4. पानी की गुणवत्ता के मुद्दे
क) वजीराबाद में यमुना के कच्चे पानी का प्रदूषण
ख) यमुना नदी के लिए इंटरसेप्टर सीवर योजना की स्थिति
ग) गुड़गांव फीडर नहर और आगरा नहर के लिए योजनाओं की स्थिति

5. नोएडा में यूवाईआरबी की भूमि पर भवन का निर्माण
6. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पानी के स्रोत के रूप में अपशिष्ट जल के उपयोग द्वारा पानी की वृद्धि
7. मुनक में डीएसबी में 51 क्यूसेक छोड़ने के एवज में औचंदी और जौंती नियामक में दिल्ली के 51 क्यूसेक सिंचाई घटक का प्रतिस्थापन
8. दिल्ली द्वारा यमुना के हिमाचल के हिस्से का उपयोग नहीं किए गए पानी का उपयोग
9. यूवाईआरबी का प्रशासनिक सुधार
10. हथिनीकुंड बैराज के निर्माण में उत्तर प्रदेश द्वारा हिस्से का भुगतान न करना
11. यूवाईआरबी की वार्षिक रिपोर्टें

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पानी के स्रोत के रूप में अपशिष्ट जल के उपयोग द्वारा जल की वृद्धि के साथ-साथ विशेष रूप से प्रदूषण के मुद्दे का हल निकालने के लिए कार्यसूची के उपरोक्त बिंदुओं पर उपयोगी चर्चा की गई.

प्रशिक्षण

एनडब्ल्यूए, के.ज.आ., पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

क्रम.सं.	कार्यक्रम का विषय	तारीख	स्थल	प्रतिभागी
1	जीआईएस का उपयोग करते हुए "जल निकासी और जलविभाजक निरूपण और अधिकार क्षेत्र सीमांकन" पर प्रशिक्षण	26.5.20 से 5.6.20	दूरस्थ शिक्षा	24 प्रतिभागी
2	"जलविज्ञान परियोजना" पर प्रशिक्षण	01.06.2020 14.06.2020	दूरस्थ शिक्षा	62 प्रतिभागी
3	कनिष्ठ अभियंताओं के लिए अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम, के.ज.आ. (बैच -1)	15.06.2020 से 10.07.2020	दूरस्थ शिक्षा	के.ज.आ. के 50 कनिष्ठ अभियंता
4	" जल मौसम विज्ञान साइट पर डेटा संग्रह" का प्रशिक्षण	15.06.2020 से 26.06.2020	दूरस्थ शिक्षा	के.ज.आ. व मंत्रालय के 497 अधिकारी
5	"स्कूल के शिक्षकों हेतु भारत में जल संसाधन क्षेत्र" के लिए प्रशिक्षण	22.06.2020 से 24.06.2020	दूरस्थ शिक्षा	महाराष्ट्र राज्य के 294 स्कूली शिक्षक
6	कनिष्ठ अभियंताओं - के.ज.आ. हेतु प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.06.2020 से 17.07.2020	दूरस्थ शिक्षा	67 कनिष्ठ अभियंता
7	"स्कूल के शिक्षकों हेतु भारत में जल संसाधन क्षेत्र" के लिए प्रशिक्षण	29.06.2020 से 01.07.2020	दूरस्थ शिक्षा	महाराष्ट्र राज्य के 164 स्कूली शिक्षक
8	ईपीएएमएस (परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली) पर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला	30.06.2020 से 02.07.2020	दूरस्थ शिक्षा	केंद्र व राज्य सरकार के 200 प्रतिभागी

डेटा कॉर्नर

कावेरी जल विवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में एक सामान्य वर्ष में के.ज.आ. के बिलिगंडुलु स्थल पर सुनिश्चित की जाने वाली पानी की मात्रा

क्रम.सं.	माह	(टीएमसी में)	क्रम.सं.	माह	(टीएमसी में)
1	जून	9.19	7	दिसम्बर	7.35
2	जुलाई	31.24	8	जनवरी	2.76
3	अगस्त	45.95	9	फ़रवरी	2.5
4	सितम्बर	36.76	10	मार्च	2.5
5	अक्टूबर	20.22	11	अप्रैल	2.5
6	नवम्बर	13.78	12	मई	2.5
				कुल	177.25

दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की बैठक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण उपायों, नालियों की डीसिल्टिंग, पंपिंग स्टेशनों की उपलब्धता और कामकाज, समस्याग्रस्त स्थानों के लिए कार्य योजना आदि की समीक्षा करने के लिए शीर्ष समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली की अध्यक्षता में 26.06.2020 को वीसी के माध्यम से आयोजित की गई. इसमें श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. और एफएमओ के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

हिमाचल प्रदेश के शोंगटोंग करचम एचईपी के दाएं किनारे के ढाल के स्थिरीकरण का मुद्दा

हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर प्रस्तावित शोंगटोंग करचम एचईपी (450 में.वा.) एक आरओआर परियोजना है. जल वाहक प्रणाली के अन्य घटकों जैसे इंटेक, डिसिल्टिंग चैंबर, हेड रेस टनल, सर्ज शाफ्ट और पावरहाउस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में काफी प्रगति हुई है. हालाँकि, वर्तमान में यह परियोजना, बैराज के अक्ष की दिशा में दाहिने किनारे की ढलान अस्थिरता के कारण देरी का सामना कर रही है. इस स्थान में देखे गए हाई क्रीप मूवमेंट ने विशेष ढलान स्थिरीकरण उपायों के साथ संयोजन में एक मजबूत बैराज परिसर का निर्माण अनिवार्य कर दिया है जिससे दाहिने किनारे के क्रीप लोड को स्थिर और मजबूत बाएं किनारे पर स्थानांतरित हो सके.

के.ज.आ. में मेसर्स एचपीपीसीएल द्वारा मेसर्स एएफ कंसल्टेंट, डिजाइन परामर्शदाता के माध्यम से तैयार किए गए प्रस्ताव की विस्तृत जांच की गई है. तदनुसार, किए गए

विश्लेषण पर चर्चा करने के लिए डिजाइन परामर्शदाताओं के साथ के.ज.आ. में एक बैठक भी हुई. डिजाइन रिपोर्टों पर के.ज.आ. की टिप्पणियों को 12.06.2020 को मैसर्स एचपीपीसीएल को सूचित कर दिया है और के.ज.आ. की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद इसे फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.

जल क्षेत्र समाचार

- केरल पहुंचा मानसून, झमाझम हो रही बारिश (दैनिक जागरण, 02.06.2020)
- महाराष्ट्र से आज टकराएगा निसर्ग, मुंबई में पहली बार कोई चक्रवात (राजस्थान पत्रिका, 03.06.2020)
- मई 2020 गर्मी ने तोड़ दिए सारे पुराने रिकार्ड (हिन्दुस्तान, 06.06.2020)
- अब चक्रवाती तूफान 'गति' मंडराया, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट (पंजाब केसरी, 09.06.2020)
- एनसीडीईएक्स शुरू करेगा रेन इंडेक्स (बिजनेस स्टैन्डर्ड, 09.06.2020)
- केंद्रीय मंत्री ने जेजेएम की धीमी प्रगति पर चिंता जताई (हिन्दुस्तान, 11.06.2020)
- अच्छी बारिश से जीडीपी में 30 प्रतिशत तक हो सकता है खेती का हिस्सा (राजस्थान पत्रिका, 16.06.2020)
- गंगा—यमुना की 50 से अधिक सहायक नदियों के तटों पर लगाए जाएंगे 1.5 करोड़ पौधे (द पायनीर, 23.06.2020)
- नीतीश ने दिया नदियों को जोड़ने की संभावनाओं को तलाशने का निर्देश (राष्ट्रीय सहारा, 29.06.2020)
- हमारे हिस्से का पानी नहीं जाने देंगे पाकिस्तान (राजस्थान पत्रिका, 29.06.2020)

इतिहास - कोटा बैराज

कोटा बैराज पुराने और भव्य गढ़ पैलेस के पास स्थित है. यह 90 करोड़ रुपये के चम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा था जिसमें अन्य घटक शामिल थे. इसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में 0.56 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को सिंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जिसकी नहरें बैराज के अपस्ट्रीम पर दाहिने और बाएँ तरफ से निकलती हैं. इस रु.3.8 करोड़ रूपए की संरचना के निर्माण ने एक ऐसा कठिन कार्य प्रस्तुत किया जिसका सामना सम्भवतः भारत में पहली बार करना पड़ा होगा.

चंबल में रुचि

चंबल, पूर्व मध्य भारत और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी में दोनों राज्यों में उपयोग के लिए सिंचाई एवं जल-विद्युत शक्ति को विकसित करने की बहुत बड़ी संभावना है. स्वतंत्रता प्राप्ति एवं राजस्थान तथा मध्य भारत के राज्यों के गठन के बाद केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में चंबल के विकास के लिए एक व्यापक योजना दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त निष्पादन के लिए तैयार की गई थी, जिन्हें व्यावहारिक रूप से लाभ को आधे-आधे आधार पर साझा करना था. इस योजना के अंतर्गत सिंचाई और बिजली विकास दोनों को महत्व दिया गया और इसके पहले चरण में राजस्थान में चंबल पर एक नहर प्रणाली के साथ एक बैराज व गांधी सागर भंडारण-सह-विद्युत् बांध के निर्माण का प्रस्ताव शामिल किया गया. कोटा बैराज में कई अनूठी विशेषताएं हैं. यह परियोजना तत्कालीन केंद्रीय जल विद्युत आयोग (सीडब्लूपीसी) के मार्गदर्शन में तैयार की गई थी. यह भारत में संभवत: पहली बार था जब लगभग 37 मीटर ऊंचा एक मृदा बांध सफलतापूर्वक अत्यधिक परवियस नींव पर बनाया गया था. भारत में पहले नहीं आजमाए गए क्ले-ग्राउटिंग तकनीक का भी इस्तेमाल यहां किया गया था. इस बैराज के लिए उस समय भारतीय इंजीनियरों द्वारा पूरी तरह से डिजाइन, निर्मित और स्थापित किए गए

कोटा बैराज

विशेषताएं - एक नजर में

स्थान	चम्बल नदी पर राजस्थान में कोटा शहर के समीप
प्रकार	मृदा, चिनाई, कंक्रीट
ऊंचाई	बुनियाद से 37 मीटर ऊपर
लम्बाई	522 मीटर
नहरें	दायीं ओर लगभग 373 कि.मी. (राजस्थान में 130 कि.मी. (81 मील) और शेष मध्य प्रदेश में) तथा बायीं ओर राजस्थान में लगभग 3.2 कि.मी. व 64 कि.मी. की दो शाखाएं
मात्रा	चट्टान की कुल कटाई : 0.12 मिलियन घन मीटर
बैराज	कंक्रीट व चिनाई : 0.06 मिलियन घन मीटर मृदा कार्य : 0.07 मिलियन घन मीटर
नहरें	कंक्रीट व चिनाई : 0.57 मिलियन घन मीटर मृदा कार्य : 20.4 मिलियन घन मीटर
लाभ	सिंचाई : 5.6 लाख हेक्टेयर (चरम)
लागत	रु. 3.83 करोड़ रूपए

सबसे बड़े आकार के स्पिलवे रेडियल गेट बनाए गए. केवल तीन महीनों में 8.5 लाख घन मीटर के मृदा-कार्य और मृदा-शैल (रॉक-फिल) से मृदा बांध को बनाने से भारतीय इंजीनियरों में नया विश्वास जगा, जो यह उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े कार्यों को अच्छी योजना के साथ भी पूरा किया जा सकता है. यह वर्ष 1960 में पूरा हो गया था. अपनी नहर प्रणाली के साथ कोटा बैराज के सफल समापन ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी को समृद्धि सुनिश्चित की, जिन्हें 8 लाख हेक्टेयर से अधिक उपजाऊ भूमि के लिए सिंचाई सुविधायें मिली. नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों ने देश के वार्षिक खाद्य उत्पादन को लगभग आधा मिलियन टन बढ़ा दिया और इससे देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने में मदद मिली.

केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का
एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल

- डॉ. समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(मा.सं.प्र.)- मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ)-सदस्य
- श्री योगेश पैठणकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ)- सदस्य
- श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(डब्ल्यूएसई) व निदेशक(तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री पदमा दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक(डबल्यूपीएंडपी समन्वय) -सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक(आईएसएम-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक(डीएंडआर समन्वय)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक(डब्ल्यूएसई)-सदस्य सचिव

अनुवाद : श्री शशि कान्त तिवारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी(डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in